छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 1054/2007</u>

1. **श्री डी0के0 सोनी,** - *अपीलार्थी*
   अधिवक्ता, बनारस रोड़ चठिरमा,
   अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
   कार्यालय जिलाध्यक्ष,
   अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 05 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री डी0के0 सोनी, अधिवक्ता, अंबिकापुर ने दिनांक 28.05.2007 को जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, अंबिकापुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 19.07.2007 को प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील पर समयावधि में निर्णय नही होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को 15 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 19.02.2008 को भेजा गया । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में यह बताया गया है कि श्री डी0के0 सोनी से प्राप्त शिकायत कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अंबिकापुर द्वारा जानकारी प्राप्त नही होने के संबंध में थी, अत: उसे नस्तीबद्ध किया गया तथा बाद में एक पत्र से यह भी बताया गया कि श्री डी0के0 सोनी ने आवेदन में जो जानकारी चाही थी, वह आवेदन निर्धारित शुल्क नही पटाने के कारण दिनांक 06.07.2007 को खारिज किया गया था और इसकी अपील अपर कलेक्टर को प्रेषित की गई, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.01.2008 के तहत् उक्त अपील खारिज की गई । प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कई बार तारीखें बढाई और अधिनियम के अन्तर्गत

निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील के निराकरण की ओर ध्यान नही दिया । अतः कलेक्टर, सरगुजा को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य हेतु सचेत करें कि अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रथम अपीलों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 30 दिवस के अन्दर अथवा कारण बताते हुए अधिकतम 45 दिवस के अन्दर विधिवत सुनवाई उपरान्त निश्चित रूप से आदेश पारित किया करें । कारण बताओ सूचना पत्र का जो उत्तर भेजा गया है, उसमें वर्तमान प्रकरण का हवाला नही देकर किसी अन्य प्रकरण का हवाला दिया गया है, इसी प्रकार अंतिम सुनवाई के दिन जो अधिकारी उपस्थित हुये थे, वे भी लिंक अधिकारी होने के कारण अपने पक्ष में कुछ अधिक तर्क नही रख पाये थे । इससे यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के संबंध में कतई गंभीर नही है, यहॉं तक कि कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में भी किसी अन्य प्रकरण का हवाला देकर लापरवाही दिखाई है । आवेदन में जो जानकारी चाही गई है, वह ऐसी कोई जानकारी नही है जो नही दी जा सके और संबंधित नजूल प्रकरण में निश्चित रूप से ऐसी जानकारी उपलब्ध होगी और वह दी जा सकती है । दिनांक 01.03.2008 के पत्र में निर्धारित शुल्क नही पटाने के कारण आवेदन खारिज करना बताया गया है, किन्तु क्या किसी प्रकार की शुल्क की जानकारी आवेदक को दी गई, इसका कोई उल्लेख नही है । इसी प्रकार से इस पत्र में धारा-2(च) का उल्लेख क्यों किया है यह बिलकुल स्पष्ट नही है कि धारा-2(च) के अन्तर्गत यह जानकारी नही दी जा सकती है । मौखिक तर्क में अपीलार्थी ने जानकारी से संबंधित प्रकरण में भारी भ्रष्टाचार की आशंका बताई है व इसी कारण जानकारी छिपाना भी उद्‌देश्य बताये हैं । उपरोक्त स्थिति में जनसूचना अधिकारी पर उनका उत्तर संतोषप्रद नही होने के कारण अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत विलंब हेतु दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब संबंधित जानकारी 15 दिवस के अन्दर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करा दी जावे तथा प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 250/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । प्रकरण में कलेक्टर को भी निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण को स्वंय देखकर यदि भ्रष्टाचार या स्टॉम्प ड्‌यूटी की भारी हानि पाई जाती है तो वे नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त